



झारखण्ड सरकार



अंचल अधिकारी का कार्यालय, KANDI, GARHWA (झारखंड)

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति / शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र

सन्दर्भ संख्या : JHNBC/2019/78975

जारी करने की तिथि : 06/01/2020

प्रमाणित किया जाता है कि UPENDRA PRAJAPATI पिता SURENDRA PRAJAPATI, ग्राम/नगर : DHABRIA थाना : KANDI जिला/प्रमंडल : GARHWA राज्य/संघशासित प्रदेश : JHARKHAND, PARJAPATI-KUMHAR जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये Hinduism (धर्म) को माननेवाले हैं।

2. UPENDRA PRAJAPATI तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर : KANDI थाना : KANDI जिला/प्रमंडल : GARHWA में निवास करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथाअंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाणपत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या -15) सलग करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

Digitally signed by RAKESH SAHAY  
अंचल अधिकारी KANDI का डिजिटल हस्ताक्षर

स्थान : KANDI

तिथि : 06/01/2020

नोट : क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र की वैधता अपने आवेदन तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्व-घोषणा विहित प्रपत्र में सलग करने पर ही निम्न वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निम्न क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र मान्य किये जायेंगे। (दस्तावेज: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का परिपत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 की कटिका 8.2)